मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 2527/मान0अनु0/जोन–सी/2015 दिनांक : 29/12/15

सेवा में,

मै0 अंसल लैण्डमार्क टाउनशिप प्रा0 लि0,
द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी0एस0 राठी,
कार्यालय–सुशान्त सिटी, सै0–3, वेदव्यासपुरी,
मेरठ।

महोदय,

आपके पत्र दिनांक 15.04.2014 आवासीय/ग्रुप हाउसिंग **मानचित्र संख्या 475/14** के संदर्भ में आपके प्रस्तावित **आवासीय/ग्रुप हाउसिंग** भवन निर्माण को मौहल्ला/**कालोनी**/ग्राम सुशान्त सिटी, सेक्टर–3, वेदव्यासपुरी, बाईपास रोड, मेरठ कुल क्षेत्रफल 24121.956 वर्ग मी0 में ग्रुप हाउसिंग मानचित्रों में से ब्लॉक ए व बी के मानचित्रों पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा। वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियम के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (औकूयपायी) करेगें।
11. प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक 2473/15/मा0अनु0/जोन सी/15 दिनांक 18.12.15 में संदर्भित क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की अवशेष धनराशि अधिकतम दो माह में जमा करनी होगी।
12. अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण के सापेक्ष भवन निर्माण हेतु परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में उक्त पत्र में संदर्भित अवशेष धनराशि की बैंक गारण्टी अधिकतम दो माह में जमा करनी होगी।
13. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय उपराध होगा एवं प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक:– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि:– जोनल अधिकारी (प्रवर्तन खण्ड) जोन–सी को प्रेषित।

29/12/15

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।